संख्या:65/2022/ 2005 ई-2/तेरह-2022- 399616

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 05 दिसम्बर,2022

विषयः- मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., अलीगढ़ (यवासवनी) की बीयर के उत्पादन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 15 लाख हेक्टोलीटर से बढ़ाकर 20 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-243/दो-प्रा.डी.-142/वेव ब्रिवरी, दिनांक 07-11-2022 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-11-2022 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1989ई-2/तेरह-2022-399616, दिनांक 01-12-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07-11-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रिवरीज लि., अलीगढ़ (यवासवनी) की बीयर के उत्पादन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 15 लाख हेक्टोलीटर से बढ़ाकर 20 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यवासवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: पालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) यवासवनी/इकाई द्वारा आई.डी.आर. एक्ट,1951 के सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों के अधीन उत्पादन किया जायेगा।

(2) यवासवक द्वारा नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा बढ़ी हुयी क्षमता पर यवासवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली,1961(समय-समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यवासवक द्वारा अनाज से बीयर उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 33/2021-810ई-2/तेरह- 2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4) (छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(5) यवासवक द्वारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।